

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
64 / 2025

दायर दिनांक  
21.04.2025

निर्णय दिनांक  
22.05.2025

अनवान

1. किशनलाल पुत्र भगवानलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गणेशीबाई पुत्री मांगु जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गौरीबाई पत्नी भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. धनराज पुत्र भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नाबालिग पुष्पा पुत्री पारस बविलायत संरक्षक धनराज जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मीना पुत्री भगवानलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रतनी पुत्री भगवानलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रामीबाई पत्नी भगवानलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. हंसराज पुत्र मांगु जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र कजोड जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. पारस पत्नी मदनलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. लादु पुत्र भैरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. हुडीबाई पत्नी रामलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. चुन्ना पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नन्दराम पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बालु पुत्र गोकल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. माधु पिता गोकल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. किशोर पिता गोकल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री सैयद फिरोज अली



*Raj*  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 90 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196, 621, 624, 629, 633, 653, 659, 662, 667, 677, 679, 683, 687, 730, 86 कुल किता 15 कुल रकबा 3.04 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीद प्रस्तुत की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 90 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196, 621, 624, 629, 633, 653, 659, 662, 667, 677, 679, 683, 687, 730, 86 कुल किता 15 कुल रकबा 3.04 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेश कुमार का)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन  
जिला-चित्तौड़गढ़